

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पत्र संख्या-1/आर05-10-01/2013 गृ0आ0 / पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

डॉ0 निर्मल कुमार आजाद, भा0पु0से0 (1994) पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना को दिनांक 08.06.2013 से 25.06.2013 तक अपने निजी खर्च पर संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण करने एवं इस यात्रा के क्रम में लौटते समय Transit Visit के दौरान इंग्लैण्ड का भ्रमण करने हेतु देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(राजीव रंजन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-01/2013 गृ0आ0 / पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-01/2013 गृ0आ0 / पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-01/2013 गृ0आ0 / पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:- डॉ0 निर्मल कुमार आजाद, भा0पु0से0 (1994) पुलिस महानिरीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/आर05-10-01/2013 गृ0आ0 2571 / पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना /उप सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


24/13
सरकार के संयुक्त सचिव